भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 574
दिनांक 06 फरवरी, 2024 / 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर के लिए

शहरी बाढ़ का खतरा

574. श्री सुनील कुमार सिंहः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने शहरी बाढ़ के खतरे को कम करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और इसके लिए कितनी निधि आवंटित की गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): शहरी बाढ़ का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों/शहरी विकास प्राधिकरणों के दायरे में आता है, जो शहरों/कस्बों में जल निकासी और सीवरेज प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं।

पंद्रहवें वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा शमन निधि (एनडीएमएफ) के तहत अपनी पंचाट अवधि के लिए 2,500 करोड़ रुपये के आवंटन की सिफारिश की है, जिसमें बाढ़ प्रबंधन के लिए एकीकृत समाधान तैयार करने के लिए तीन महानगरों (मुंबई, चेन्नई और कोलकाता) में से प्रत्येक महानगर हेतु 500 करोड़ रुपये और शहरी बाढ़ को रोकने के लिए चार शहरों (बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और पुणे) में से प्रत्येक शहर को 250 करोड़ रुपये का निधि आवंटन है ।सातों महानगरों / शहरों में से, केंद्र सरकार ने चेन्नई बेसिन की एकीकृत शहरी बाढ़ प्रबंधन गतिविधियों के लिए 561.29 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी दे दी है, जिसमें 500 करोड़ रुपये का केंद्रीय आवंटन है।

केंद्र सरकार ने शहरी बाढ़ को रोकने के लिए विभिन्न कदमों के माध्यम से राज्यों को सुविधा प्रदान की है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं:-

(i) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) द्वारा जारी शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशानिर्देश शहरी बाढ़ के प्रबंधन हेतु योजनाओं के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये

लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 574, दिनांक 06.02.2024

दिशानिर्देश, मंत्रालयों/विभागों, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और शहरी स्थानीय निकायों को उनकी आपदा प्रबंधन योजनाएँ बनाने में मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए तैयार किए गए हैं। ये दिशानिर्देश विभिन्न स्तरों पर एक सक्रिय, भागीदारीपूर्ण, सुसंरचित, असफलता-सुरक्षित, बहु-विषयक और बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण का आह्वान करते हैं।

(ii) राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के मार्गदर्शन के लिए, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने एनडीएमए दिशानिर्देशों को एकीकृत करके शहरी और क्षेत्रीय विकास योजना निर्माण और कार्यान्वयन (यूआरडीपीएफआई) दिशानिर्देश, 2014 जारी किए हैं।

(iii) MoHUA ने 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के भूखंड के आकार के लिए वर्षा जल संचयन के पूर्ण प्रस्ताव को अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए मॉडल बिल्डिंग उपनियम (एमबीबीएल), 2016 तैयार किया है।

(iv) MoHUA ने वर्ष 2017 में शहरी बाढ़ के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है जो शहरी स्थानीय निकायों, जिला प्रशासन और राज्य सरकार द्वारा की जाने वाली विशिष्ट कार्रवाइयों को निर्धारित करती है।

(v) MoHUA ने स्टॉर्म वॉटर निकासी प्रणालियों के संधारणीय डिजाइन, योजना और प्रबंधन और शहरी क्षेत्रों में बाढ़ से निपटने के लिए आपातकालीन योजना पर मार्गदर्शन हेतु स्टॉर्म वॉटर निकासी प्रणाली, 2019 पर एक मैनुअल प्रकाशित किया है।

(vi) तूफानी जल निकासी अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के घटकों में से एक है। अमृत के तहत परियोजनाओं के लिए ₹77,640 करोड़ के कुल आवंटन में से तूफान जल निकासी के लिए ₹2,969 करोड़ (4%) आवंटित किया गया है। अब तक, 19 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में, तूफान जल निकासी के लिए 1,883 करोड़ रूपये की 750 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं ।अमृत के तहत पूरी की गई परियोजनाओं ने 3,445 जल जमाव बिंदुओं को खत्म करने में सहायता की है।

(vii) अमृत 2.0 योजना के तहत जल निकायों और कुओं का कायाकल्प मुख्य घटकों में से एक है। इसके तहत स्वीकार्य तत्वों में तूफानी जल नालों के माध्यम से वर्षा जल को जल निकाय (जिसमें सीवेज/प्रवाह नहीं मिल रहा है) में संग्रहित करना शामिल है।

*****